झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची।

आपराधिक पुनरीक्षण सं0–14 वर्ष 2019

1. सुमन्त मंडल उर्फ सुमन्त कुमार मंडल
2. चरका उर्फ जुगल किशोर मंडल उर्फ जुगल किशोर कुमार उर्फ चरका मंडल

.... याचिकाकर्त्तागण

बनाम्

1. झारखण्ड राज्य
2. अनिता देवी .... विपक्षीगण

उपस्थित : **माननीय न्यायमूर्ति श्री अमिताभ के0 गुप्ता**

याचिकाकर्त्ता के लिए :– श्रीमती वंदना सिंह, अधिवक्ता।

राज्य के लिए :– श्री अशोक कुमार संख्या 2, ए0पी0पी0।

05/दिनांक 14वीं अगस्त, 2019

1. यह पुनरीक्षण, आपराधिक (किशोर जमानत) अपील संख्या 40/2018 में पारित दिनांक 26.11.2018 के आदेश के खिलाफ निर्देशित है जिसके द्वारा विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, देवघर ने याचिकाकर्त्ताओं की जमानत प्रार्थना को खारिज कर दिया है।

2. याचिकाकर्त्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि याचिकाकर्त्ता दिनांक 07.08.2017 से हिरासत में हैं। यह निवेदन किया गया है कि किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 12 के उपबंध जमानत पर एक किशोर की रिहाई को अनिवार्य करता है। यह प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्त्ताओं के आचरण और चरित्र के बारे में कोई प्रतिकूल टिप्पणी सामाजिक जांच रिपोर्ट में नहीं की गई है।

विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया जाता है कि निचली अदालत ने मंतव्य रिकॉर्ड करने में गलती की है, यदि याचिकाकर्त्ताओं को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो इस बात की संभावना है कि वे परिचित अपराधियों के सम्पर्क में आएंगे और यह उन्हें नैतिक, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक खतरे का सामना करवाएगा। यह कि ये अवलोकन परिवीक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार है। विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्त्ताओं के अभिभावक याचिकाकर्त्ताओं के अच्छे व्यवहार और उचित पर्यवेक्षण को सुनिश्चित करने के लिए एक वचन देने के लिए तैयार हैं।

उपरोक्त आधारों पर, जमानत पर किशोरों की रिहाई के लिए प्रार्थना की गई है।

3. विद्वान ए0पी0पी0 ने विरोध किया है और प्रस्तुत किया है कि यह केस डायरी के अवलोकन से स्पष्ट होगा कि पीड़ित ने अपने बयान में स्पष्ट रूप से कहा है कि इन याचिकाकर्त्ताओं ने उसके साथ बलात्कार किया और उसके बाद उसे तालाब में फेंक दिया। यह कि पीड़िता की मेडिकल जांच की गई और पीड़िता के साथ बलात्कार होने की मंतव्य दी गई। यह कि केस डायरी के पैरा–34 में, पीड़ित की मेडिकल जांच में डॉक्टर की सहायता करते हुए सहायक नर्सिंग मिडवाइफरी (ए0एन0एम0) ने भी पीड़ित के साथ किए गए बलात्कार के तथ्य का समर्थन किया है।

4. सुना गया है। अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए, मेरा विचार है कि जमानत पर याचिकाकर्त्ताओं की रिहाई न्याय के उद्देश्यों को पराजित करेगी, तद्नुसार याचिकाकर्त्ताओं की जमानत प्रार्थना, इसके द्वारा, खारिज किया जाता है।

5. निचली अदालत को निर्देश दिया जाता है कि वह जल्द से जल्द जांच मं तेजी लाए और इस आदेश की प्रति प्राप्ति या उत्पादन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर अधिमानतः निष्कर्ष निकाले।

6. पूर्वोक्त निर्देश के साथ, पुनरीक्षण इसके द्वारा, खारिज किया जाता है।

(अमिताभ के0 गुप्ता, न्याया0)